

27/3/18

वकील श्री S.N. माली द्वारा गार्जना पत्र क्र.धा/128 CR Act सुम्बुत रिमा जो बाद जॉन रिमा धाल्ट दर्ज रिमा गया व उनका पवर्गिया पिता समसिरिया कंधर वॉ विरुद्ध श्री किराना पिता रिवा जरीमा मय कसिदार पत्रा सकल मय नवमा ट्रेस व कोटिस मंगलगत रिमे धाल्ट पत्थरगदी हेतु पेरा रिमा गया है। कसः पत्थरगदी रोगो पत्र की उपस्थिति मे रिमे जाते हेतु तहसीलदार बेगम को 500 रु फीस पर समिस्तर निपुमर रिमा जात है। तहसीलदार बेगम को पत्थरगदी की चालना हेतु पत्र जारी रिमा जाते पत्रावली दिनांक 07/05/18 को पेरा हो।

15/1/18

पत्रावली पेरा हुई लोक अदालत केम मयको के कारण पत्रावली अब लोक अदालत केम अल सेवा हेतु बादी, दिनांक 14-06-2018 को पेरा हो।

4/06/2018

पत्रावली आज राजस्थान लोक अदालत थिस्ट्रि कमाडी पर शरकी मयी। चालना पेरा की मयी, जो कि शरकील पत्रावली की मयी। पत्रावली में अब धारमपदी शेष न होने से पत्रावली संमल कुंकर होकर केकर से का होकर शरकील शरकर हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगु (धिसीबगव)